प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2020**

विषयः- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस.एल.एस.सी. से राजकीय पौधशालाओं/प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रु0-2202.89 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0-1202.89 लाख में से वर्ष 2019-20 में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0-800.88 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1115-17/आर0के0वी0वाई0/पौ0/प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण/2019-20, दिनांक 12.03.2020 एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-257/ 12-3-2020/100(37)/2017, दिनांक 12.03.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित राजकीय पौधशालाओं/प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 2202.89 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु0-800.88 लाख अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा0 40-के+रा0)0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें-(के0 60/रा0 40-के+रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य में अवमुक्त धनराशि रु0-800.88 लाख मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक/मानक मद	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
राजकीय पौधशालाओं/ प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा0 40-के+रा0)0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें-(के0 60/रा0 40-के+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य	800.88	800.88
	योग-	800.88	800.88

(रूपये आठ करोड़ अट्ठासी हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम NET पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या -20/2020-592(1)/58-2020 तद्दिनांकः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in